

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

कार्यालय आदेश

संचिका सं०-प्र०/ऊर्जा क्रय समिति-०७/२०२६- 39 /पटना, दिनांक:- 16.07.2026

वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-13183 दिनांक-09.12.2024 की कंडिका संख्या-130 (ix) एवं 131 (ज) के आलोक में 50,000/- (पचास हजार) रुपये से अधिक और 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये तक के मूल्य की वस्तु क्रय के लिए अनुशंसा हेतु निम्न प्रकार से विभागीय क्रय समिति का गठन किया जाता है:-

- | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|---------|
| (i) | संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग | - | अध्यक्ष |
| (ii) | आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग | - | सदस्य |
| (iii) | अवर सचिव, ऊर्जा विभाग | - | सदस्य |
| (iv) | सहायक निदेशक(योजना), ऊर्जा विभाग | - | सदस्य |

आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग की अनुपस्थिति में सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग के क्रय समिति सदस्य के रूप में रहेंगे।

2. इस पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राज किशोर लाल),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०/ऊर्जा क्रय समिति-०७/२०२६- 3904 /पटना, दिनांक:- 16.07.2026

प्रतिलिपि:-सचिव ऊर्जा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/
आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक (योजना)
एवं आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16/07/26
सरकार के उप सचिव।